न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.)

आवेदक

श्री मुकेश प्रजापत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही

बनाम

प्रतिवादी / अभियुक्त

दिलीप सिंह पुत्र श्री पूनम सिंह रावत, खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता, मैसर्स होटल राज, एन.एच. 27, माधव यूनिवर्सिटी रोड, काला मगरा, भुजेला, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही, स्थाई पताः– धुकलपुरा कोट किराना, तहसील रायपुर, जिला– पाली

F.S.S.Act Case No. 57/2025

"अर्न्तगत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा– 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006"

–: निर्णय :– **दिनांक 19 नवम्बर, 2025**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक श्री मुकेश प्रजापत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरुद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत द्वारा दिनांक 01–5–2025 को मैसर्स होटल राज, एन.एच. 27, माधव युनिवर्सिटी रोड़ काला मकरा, भुजेला, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता प्रतिवादी विक्रेता दिलीप सिंह पुत्र श्री पूनम सिंह, जाति– रावत, निवासी–धुकलपुरा कोट किराणा, तहसील रायपुर, जिला– पाली से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ पनीर (लुज) का नमूना संख्या S-2694, खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांकःL.S./745/Act/2025/745 दिनांक 22–5–2025 में अमानक (sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी अभियुक्त पर शास्ति (Penalty) अधिरोपित करने का अनुरोध किया गया है।

(2) प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया। जिस पर प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 12–11–2025 को प्रतिवादी दिलीप सिंह ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण का निस्तारण करने का अनुरोध किया। प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 19–11–2025 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित नही हुये। प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा जुर्म स्वीकार कर लिये जाने से इस प्रकरण का पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अनुसार विधि अनुरुप निस्तारण किया जा रहा है।

(3) पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री मुकेश प्रजापत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही, दिनांक 01–5–2025 को खाद्य पदार्थो के निरीक्षण के दौरान मैसर्स होटल राज, एन.एच. 27, माधव यूनिवर्सिटी रोड, काला मगरा, भुजेला, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही पर गये। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता की हैसियत श्री दिलीप सिंह पुत्र श्री पूनम सिंह, जाति– रावत, निवासी– धुकलपुरा कोट किराणा, तहसील रायपुर, जिला– पाली में उपस्थित मिले। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मवीर द्वारा मैसर्स होटल राज, एन.एच. 27, माधव यूनिवर्सिटी रोड, काला मगरा, भुजेला, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही का निरीक्षण करने पर उक्त होटल राज के अन्दर एक डिप फ्रीज में लगभग 5

.....पेज दो पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

किलोग्राम खाद्य पदार्थ पनीर (लुज) आमजन के बिक्री हेतु रखा हुआ पाया, जिसमें मिलावट का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के वास्ते नमूना जांच क्रय करने की सूचना प्रतिवादी दिलीप सिंह पुत्र श्री पूनम सिंह को गवाह श्री धर्मवीर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष प्रपत्र 5ए में भरकर दी एवं रसीद प्राप्त की। अवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने होटल राज में एक डिप फ्रिज में आमजन के बिक्री हेतु रखे हुए लगभग 5 किलोग्राम खाद्य पदार्थ पनीर (लुज) में से 01 (एक) किलोग्राम पनीर को प्रतिवादी दिलीप सिंह पुत्र श्री पूनम सिंह व उक्त गवाह के समक्ष एक साफ, सूखे व खाली बर्तन में कीमतन क्रय किया एवं उसकी कीमत राशि रुपये 350/– (अक्षरे रुपये तीन सौ पचास मात्र) प्रतिवादी विक्रेता दिलीप सिंह पुत्र श्री पूनम सिंह को नकद अदा कर खरीद रसीद बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने गवाह एवं प्रतिवादी विक्रेता दिलीप सिंह पुत्र श्री पूनम सिंह को चार साफ, सूखी, खाली प्लास्टिक की बोतलें दिखाकर खरीद शुदा पनीर (लुज) को तोलकर चारों बोतलों में बराबर–बराबर (250–250 ग्राम) मात्रा में भरा एवं प्रत्येक बोतल में 20–20 बूंदे फार्मेलीन की डालकर इन चारों बोतलों को अलग अलग ढक्कन लगाकर ढक्कन से एयरटाईट बन्द किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-2694 दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ पनीर (लुज) आदि अंकित कर उस पर प्रतिवादी विक्रेता दिलीप सिंह पुत्र श्री पूनम सिंह एवं गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने हस्ताक्षर किये। श्री मुकेश प्रजापत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा पनीर (लुज) की चारों नमूना बोतलों पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया तथा खरीदशुदा पनीर (लुज) की उक्त चारों नमूना बोतलों पर अभिहित अधिकारी के हस्ताक्षर युक्त पेपर स्लिप कोड एवं क्रम संख्या S-2694 को उपर से लेकर नीचे तक गोंद से चिपकाया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने चारों नमूना भागों को अलग अलग कागज में लपेटकर चारों नमूना भागों पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही की हस्ताक्षर युक्त पेपर स्लीप कोड एवं क्रम संख्या S-2694 गोंद से चिपकाकर चारों नमूनों भागों को मोटे धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी से सील मोहर किया तथा चारों नमूना भाग पर प्रतिवादी विक्रेता दिलीप सिंह पुत्र श्री पूनम सिंह व गवाह के हस्ताक्षर कराये व श्री मुकेश प्रजापत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् खाद्य पदार्थ पनीर (लुज) के चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जाप्ते में लेकर मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की गई, जिस पर प्रतिवादी विक्रेता दिलीप सिंह पुत्र श्री पूनम सिंह व गवाह तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत के हस्ताक्षर किये हुये है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की दो–दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। श्री मुकेश प्रजापत, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 02–5–2025 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा भावना, कार्मिक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को दिनांक 01–5–2025 को जमा करवाकर

......पेज तीन पर

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि श्री मुकेश प्रजापत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स होटल राज, एन.एच. 27, माधव यूनिवर्सिटी रोड, काला मगरा, भुजेला, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता दिलीप सिंह पुत्र श्री पूनम सिंह से खाद्य पदार्थ पनीर (लुज) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ पनीर (लुज) के नमूना संख्या S-2694 की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांकःL.S./745/Act/2025/745 दिनांक 22–5–2025 में खाद्य पदार्थ पनीर (लुज) का नमूना अमानक (sub-standard) पाया गया है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादी श्री दिलीप सिंह पुत्र श्री पूनम सिंह, जाति– रावत, निवासी– धुकलपुरा कोट किराणा, तहसील रायपुर, जिला– पाली, खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता, मैसर्स होटल राज, एन.एच. 27, माधव यूनिवर्सिटी रोड, काला मगरा, भुजेला, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही ने अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ पनीर (लुज) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

आदेश

अतः हस्तगत न्याय निर्णयन आवेदन अर्न्तगत धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विरुद्ध प्रतिवादी स्वीकार किया जाकर उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ पनीर (लुज) (नमूना संख्या S-2694) के विक्रय हेतु प्रतिवादी श्री दिलीप सिंह पुत्र श्री पूनम सिंह, जाति– रावत, निवासी– धुकलपुरा कोट किराणा, तहसील रायपुर, जिला– पाली, खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता, मैसर्स होटल राज, एन.एच. 27, माधव यूनिवर्सिटी रोड, काला मगरा, भुजेला, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 30,000/– (अक्षरे तीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी श्री दिलीप सिंह पुत्र श्री पूनम सिंह, जाति– रावत, निवासी– धुकलपुरा कोट किराणा, तहसील रायपुर, जिला– पाली, खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता, मैसर्स होटल राज, एन.एच. 27, माधव यूनिवर्सिटी रोड, काला मगरा, भुजेला, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त शास्ति (Penalty) का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके, बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 19–11–2025 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
(न्याय निर्णयन अधिकारी)
सिरोही